संख्याः–453 /नौ–7–21–27(ज)/2014टी0सी0

प्रेषक,

**डा0 रजनीश दुबे,**
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

(1)समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
(2)समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
(3)समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ0प्र0।

**नगर विकास अनुभाग–7** **लखनऊ दिनॉक 25 मार्च, 2021**

**विषयः कोविड–19 के नियंत्रण तथा आगामी पर्व एवं त्यौहारों के दृष्टिगत प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में साफ–सफाई, शुद्ध पेयजल व ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन(Solid Waste Management) की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

जैसा कि आप सभी अवगत है कि आगामी त्यौहारों एवं कोविड–19 के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत प्रदेश में विशेष सतर्कता और सावधानी बरतने के साथ ही साफ–सफाई व्यवस्था एवं विसंक्रमण की कार्यवाही सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। कोविड संक्रमण के बढ़ने की स्थिति के दृष्टिगत प्रदेश विशेष सतर्कता एवं सावधानी बरतने के संबंध में मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन के स्तर से निर्गत गृह विभाग के शासनादेश संख्या– 584/2021–सी0एक्स0–3 दिनांक 23.03.2021 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं। उक्त दिशा निर्देशों के अनुपालन के साथ ही प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर सफाई व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2. अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त विशेष सफाई अभियान के दौरान पूर्व में निर्गत निर्देशों के अनुरूप विशेष रूप से निम्नलिखित कार्यवाही प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों में प्रभावी रूप से तत्काल सुनिश्चित की जायेः–

1. **सफाई की समुचित व्यवस्था** –

- सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु निकाय स्तर पर विशेष कार्य दल, जिसमें सक्षम स्तर के अधिकारी/कर्मचारी कूड़ा उठाने के वाहन, मशीन व अन्य उपकरणों के साथ क्षेत्र में निकलेंगे व स्वयं की देख–रेख में निर्धारित क्षेत्र को साफ–सफाई करायेंगे। सफाई अभियान निकाय के प्रत्येक वार्ड में संचालित किया जाय।
- सफाई के दौरान एकत्रित किये गये कूड़े को उसी समय सेनेटरी लैण्डफिल साइट/प्रोसेसिंग प्लान्ट/कम्पोस्ट पिट पर भिजवाया जाय।
- उत्तर प्रदेश राज्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति के अनुसार ठोस अपशिष्ट के संग्रहण, भंडारण, पृथक्करण, परिवहन, प्रसंसकरण तथा निस्तारण हेतु समुचित व्यवस्था सुनिश्चित किया जाय।
- साफ–सफाई, हाथ धोना, शौचालय की सफाई तथा घर से जल निकासी हेतु जन–जागरण के लिये प्रचार–प्रसार किया जाय तथा कोविड–19 के संक्रमण से

सुरक्षा हेतु **"क्या करें क्या न करें"** के पम्पलेट/लीफलेट, होर्डिंग, बैनर आदि से आमजन को जागरूक किया जाय।

**2. नाले/नालियों की सफाई –**

- शहरी क्षेत्रों के खुले नाले/नालियों के ढकने की व्यवस्था की जाय, तथा सफाई अभियान के दौरान छोटे–बड़े सभी नाले/नालियों की सफाई भी सुनिश्चित की जाय। इस संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या–379/नौ–7–2021–27(ज)/2014 टी0सी0 1 दिनांक 18.03.2021 का समयबद्ध रूप से पालन सुनिश्चित किया जाय।

**3. शुद्ध पेयजल की व्यवस्था –**

- शुद्ध पेयजल की व्यवस्था बीमारियों से बचाव के लिये अत्यन्त आवश्यक है। संबंधित जल संस्थान एवं नगरीय निकाय के अधिकारी इस अभियान के दौरान पेयजल व्यवस्था से जुड़े नलकूप, हैण्डपम्पस्, पाइपलाइन्स व अन्य उपकरणों का संचालन इस तरह सुनिश्चित करेंगे कि पाइप से पेयजल की आपूर्ति उनके क्षेत्र में अधिक से अधिक समय तक सुचारू रूप से हो सके। जिसमें निम्नवत् कार्य कराये जायें:–
  - नलकूपों की मुख्य पाइपलाइनों से बस्तियों में आपूर्ति होने वाली पाइपलाइनों की टूट फूट की मरम्मत एवं जल रिसाव स्थानों को चिन्हित करते हुए उनकी मरम्मत कराया जाय ताकि बस्तियों में स्वच्छ जल की आपूर्ति हो सके।
  - उथले हैण्डपम्पों का प्रयोग रोकने के लिए उन्हें लाल रंग से चिन्हित किया जाय।
  - शुद्ध पेयजल की उपलब्धता हेतु पानी की टंकियों (Overhead Tanks) की मरम्मत, समुचित सफाई, हैण्डपम्प के रिबोंरिंग एवं पेयजल की गुणवत्ता के अनुश्रवण के लिये **बैक्टीरियोलॉजिकल/वायरोलॉजिकल जॉच** सुनिश्चित करायी जाय।
  - जल **शुद्धिकरण हेतु** नियमित रूप से **मानक के अनुसार क्लोरीनीकरण कराया जाय।**
  - आबादी में इण्डिया मार्का–2 हैण्ड पम्पों, मिनी पब्लिक वाटर सप्लाई (एम0पी0डब्ल्यू0एस0), टैंक टाईप स्टैन्ड पोस्ट की मानकों के अनुसार स्थापना एवं अनुरक्षण सुनिश्चित कराया जाय।
  - जिन क्षेत्रों में पेयजल की सप्लाई हैण्डपम्प से हो रही है उन इलाकों में प्रत्येक घर को क्लोरीन के टेबलेट उचित मात्रा में वितरित कराये जाय।
  - जिन क्षेत्रों में पेयजल बाधित हो, वहॉ पर टेंकर के माध्यम से पेयजल आपूर्ति करायी जाय।
  - जन साधारण को पानी उबालकर पीने के लिये जागरूक किया जाय।

**4. खुले में शौंच से मुक्ति–**

- स्वच्छता के अभियान में शौचालयों का निर्माण व निर्मित शौचालय के समुचित प्रयोग द्वारा खुले में शौच से मुक्ति (ओ0डी0एफ0) के लक्ष्य को हासिल करना एक महत्वपूर्ण अंग है। इस अभियान के तहत समस्त सामुदायिक शौचालय, सार्वजनिक शौचालय आदि की समुचित सफाई व रख–रखाव सुनिश्चित कराया जाय।

5. जल निकासी की समुचित व्यवस्था–

- इस अभियान के दौरान जल भराव वाले स्थानों को चिन्हित कर जल निकासी की समुचित व्यवस्था करायी जाय तथा आवश्यकतानुसार पम्पसेट आदि का प्रयोग किया जाय।
- जलाशयों एवं नालियों की नियमित सफाई करायी जाय।
- जलाशयों एवं तालाबों से वॉटर हाईसिन्थ(जल कुम्भी) के पौधों की सफाई करायी जाय।

6. दवा का छिड़काव–

- वैक्टरजनित रोगों के रोकथाम के लिये आवश्यक है कि एन्टीलार्वा दवाई का नियमित छिड़काव व फॉगिंग की जाये। इस अभियान के दौरान जल भराव वाले स्थानों को चिन्हित करके प्रतिदिन, दिन में दवा का छिड़काव किया जायेगा तथा शाम के समय फॉगिंग की जायेगी।

7. विशेष प्रचार–प्रसार अभियान–

- कोरोना वायरस एवं संचारी रोग के संक्रमण की रोकथाम हेतु चिकित्सा विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सामग्री के अनुरूप कोरोना वायरस एवं संचारी रोगों के विषयगत बरती जाने वाली सावधानी एवं सतर्कता के बिन्दु को आम जनमानस के मध्य विशेष रूप से प्रचार–प्रसार अभियान चलाया जाये। इस हेतु शहरी क्षेत्रों के भीड़–भाड़ वाले स्थानों/बाजारों में पब्लिक एड्रेस सिस्टम से प्रचार–प्रसार का कार्य कराया जाय।

8. कोविड–19 के दृष्टिगत घोषित कन्टेनमेन्ट जोन में विशेष सेनिटाईजेशन किया जाना

- कन्टेनमेन्ट जोन के अन्तर्गत जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन से समन्वय स्थापित करते हुए सेनिटाईजेशन सुनिश्चित कराया जाय।

**9.** कोविड–19 के दृष्टिगत कोविड हेल्प डेस्क को सुचारू रूप से संचालित किया जाय तथा फेस मास्क लगाने, साबुन से हाथ धोने एवं दो गज की दूरी बनाये रखने हेतु लोगों को प्रोत्साहित किया जाय।

भवदीय,

**(डा0 रजनीश दुबे)**
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0
2– निदेशक, स्थानीय निकाय, निदेशालय, उ0प्र0।
3– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

**(डा0 इन्द्रमणि त्रिपाठी)**
विशेष सचिव।